

**आचार्य,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2020/8170

लखनऊ दिनांक: 14-8-2020

-सामाजिक जाप-

उत्तर प्रदेश प्राथमिक शैक्षणिक शिक्षा परिषद एवं दिल्ली/फार्मिंगी कार्यालय जीए इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा संचालित सत्र 2020-21 हेतु विपरीत सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान करने के लक्ष्य में प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विचार प्रदान किये जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में सचिव, लखनऊ में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में स्वीकृत हुआ सत्र 2020-21 हेतु उपरोक्त एवं सहायकों को सम्बद्धता/जाप में सम्बद्धता प्राप्तियों को सम्बद्धता विचार/सम्बद्धता/अन्य आयात बुद्धि सचिव द्वारा सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त की अनुमति में सम्बद्धता समिति की बैठक के 14-8-20 में, दिल्ली/फार्मिंगी कार्यालय कार्यालय करने वाली नई संस्था का प्रस्ताव प्राप्त गया। सम्बद्धता समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित विवरण निर्णय लिया गया -

"सत्र 2020-21 हेतु नवस्थापित होने वाली किशोरी इन् फार्मिंगी संस्थाएं किन्हीं पीठसीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है, जो सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सत्र 2020-21 हेतु निर्गत पीठसीआईओ अनुमोदन पर के आधार पर सर्वसम्मति से सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित संस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण करना आवे एवं निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य राज-राज्य पीठसीआईओ/परिषद के मामलानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता बिना किसी शर्तना से समाप्त कर दी जाएगी।"

आ निम्नानुसार सचिव, लखनऊ को परिषद की सम्बद्धता समिति द्वारा किये गये निर्णय के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत अनुमोदन एवं उक्त अधिनियम अन्तर्गत हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्थापक का नाम	पीठसीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित अंश अंश	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित अंश अंश
1	किशोरी इन् फार्मिंगी नवस्थापित फार्मिंगी आर, डीएनए, एडमिशन, सी-1, लखनऊ-72 लखनऊ-72	किशोरी इन् फार्मिंगी	80	80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था सुमार्गडिलीवरी/पीठसीआईओ द्वारा निर्धारित की सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था द्वारा प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 1982, लखनऊ अधिनियम 2018 तथा अन्य विधायक विधायक एवं अधिनियम का अनुमोदन करी। तथा राज्य शिक्षण सचिव द्वारा निर्धारित शुल्क का भी पूर्णतः अनुमोदन हेतु रु. 20,000.00/-
- ✓ शीर्षक की सचिव कार्यालय लखनऊ हेतु रु. 10,000.00/- शीर्षक एवं एक सत्र की सचिव लखनऊ की सचिव कार्यालय लखनऊ की अधिनियम हेतु रु. 20,000.00 प्रतिवर्ष शुल्क की अधिनियम

(Handwritten signature)

**सर्वोच्च,
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**

संख्या: प्राथि/परिषद सम्बद्धता/2021/

संख्या: दिनांक

-सर्वोच्च स्तर-

अधिस भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मली कन्वन्शन ओफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा विधि सं 2021-22 हेतु द्वितीय राष्ट्रीय तस्वीरी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संख्या सं सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 8-8-2021 को परिषद सर्वोच्च ने सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सं 2021-22 हेतु अर्थात् नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संघटित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ फंक्शनल/ प्रवेश इत्यादि यदि तद्विध अन्तर्गत पर विचार करते हुए सं 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक में विधेय संघे निर्णय के अनुमोदन में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, 30 08 लखनऊ द्वारा सं 2021-22 हेतु विभागीय स्तर के अधीन पाठ्यक्रम एवं उत्तरी अधिस प्रवेश प्रदान हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	सं. सं. सं.	संस्था का नाम	सं 2021-22 हेतु प्रारंभिक द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम एवं प्रवेश	परिषद द्वारा अनुमोदित प्रवेश संख्या
01	1303	श्रीमती सी. ए. श्रीमती, फेसलबाग, दिल्ली नगर शिक्षण संस्था, गीतापुरा-201301	द्वितीय हा. फार्मली-00	00

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था 80आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की नवी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था आर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेनेटर विनियमवली-2014 तथा अन्य विहित विधियों एवं अधिनियमों का अनुपालन करेगी तथा पुनर्निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों की 00 फंक्शनल हेतु ₹ 30150,00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों फार्मली फंक्शनल हेतु ₹ 45000,00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षों फंक्शनल (दो वर्षों फार्मली फंक्शनल के अतिरिक्त) हेतु ₹ 23500,00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही धारक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उद्योग के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में संकट-समाप्त पर शासन द्वारा निर्णय किये जाने वाले बाधक/बाधक प्रणाली होने, और तदुपरोक्त कार्यवाही किया जाकर आवासीय होगा। प्रवेश निर्धारण समिति द्वारा यदि सं 2021-22 हेतु प्रवेश का पुनर्निर्धारण किया जाय है, तो प्रवेश की तथ्यताओं पर अनुमोदन होगा।
- ✓ संस्था को 0000 प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध शिक्षा अन्य विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में अनुक प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित करने को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटी के रिक्त स्थानों की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्णय प्राप्त/बाधक के अनुसार निर्देशों एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को 80आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 में भाग लेने का हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाय आवासीय होगा।



- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कलावे गये विधि/निर्देश/अधिनियम/परामर्शदेवी/निदेशों एवं निर्देशन, प्राविधिक शिक्षा, 3000, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 3000 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3000 द्वारा कलावे गये नियमों, विनियमों, अर्हता, निर्देशों का पालन करने के लिये बध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कार्पेटी पाठ्यक्रम की संस्थाएँ यदि पी.टी.आई. गैर डिप्लोमा से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल होती है तो इस संबंध में समस्त उपरोक्त संस्था का होगा और प्राविधिक न्य हो किन्ती भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशावली एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कोई बात टावर किता जाता है तथा टावर बंद के संबंध में ना. स्वयंसाहय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिभूति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिभूति संबंधित संस्था को करती होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कार्पेटी पाठ्यक्रम संबंधित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजक-वर्ग के लिए आर्गनाइज प्रवेश परीक्षा हेतु माउन्टिनिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (माउन्टिनिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आदेशन नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक एंटी ड्युनि, स्टार, गाल-संख्या, उपकरण, प्रात किया जाते काला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त पाठ्यक्रम उपलब्ध करने के साथ रेसिंग वेबसाई के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तुत/ संघलित पाठ्यक्रम को कलावे जगते हेतु निर्देशन समिति के समस्त उपलब्ध कलावे गये अधिनियम, अधिनियम, अधिनियम, अधिनियम इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संभालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समस्त दिवसे उसे ही अनुशास की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्वतंत्र निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भ्रष्टि, भ्रष्टि, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साम-संख्या ए0आई0आई0आई0/पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता किता किसी सूचना के सहाय्य कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता कार्य का अनुपालन न किये जाने अवका काली न् उपलब्ध किये जाने की स्थिति में विफलानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(मुनीम कुमार सोमवार)
सचिव।

तारिख 10/09/2021

पू0सं0-प्राविध/परीषद सम्बद्धता/2021/S-3//

प्राविधिक-उपनायक/निदेशक, कनिष्ठ तंत्र चर्ची, वेदप्रकाश परेडनी ऑफ टेक्निकल एडुकेशन,
नौवामुनगर-201301

(मुनीम कुमार सोमवार)
सचिव।

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/7817

लखनऊ: दिनांक: 30/08/2022

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नोक्त शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1303-COLLEGE OF PHARMACY JSS ACADEMY OF TECHNICAL EDUCATION, NOIDA

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक फार्मैसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक फार्मैसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थान का ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था की करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक वृद्धि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औचक स्तरीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(एफ0आर0 खान)

सचिव

पु0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिनिधि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक COLLEGE OF PHARMACY JSS ACADEMY OF TECHNICAL EDUCATION,
NOIDA


(एफ0आर0 खान)

सचिव